कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

मोहन लाल मीणा का पदस्थापन व्याख्याता (भूगोल) के पद पर राउमावि.मनोहर थाना झालावाड़ किया गया। मोहन लाल मीणा की पत्नी कैलाशी मीणा का पदस्थापन व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर राउमावि.चिलेश्वर माण्डल भीलवाडा में किया गया है। मोहन लाल मीणा ने माननीय उच्च न्यायलय जयपुर में एस0बी0सिविल याचिका संख्या 15721/18 मोहनलाल मीणा व अन्य बनाम सरकार व अन्य दायर की । याची ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार की है कि प्रार्थीगण (पति–पत्नी) अपने गृह जिले जयपुर से लगभग 375–450 किमी की दूरी पर तथा एक–दूसरे के पदस्थापन स्थान से 350 किमी की दूरी पर पदस्थापित है अतः अपने वृद्व माता–पिता की देख भाल करने में असमर्थ है तथा परिवार में बिखराव हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण को उनके गृह जिले (जयपुर) में पदस्थापित किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में प्रार्थीगण को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने का आदेश दिया जिसकी पालना में प्रार्थीगण ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

याचीगण के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रार्थिगण की मांग के विषय में स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का पदस्थापन काउंसलिग द्वारा किया गया और प्रार्थीगण को उसकी वरीयता कमानुसार स्थान चयन का अवसर दिया गया जिसके लिये उन्होंने अपने सहमति पत्र प्रस्तुत किये। काउंसलिग के लिये रिक्त पदों का निर्धारण विभागीय आवश्यकता के अनुसार किया जाता है विभागीय आवश्यकता प्रथम वरीयता है अतः आवश्यक नहीं है कि पति–पत्नी का पदस्थापन एक ही स्थान पर अथवा पास–पास ही किया जाये। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है अतः व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में किसी भी स्थान पर किया जा सकता है । मोहन लाल मीणा व उसकी पत्नी कैलाशी मीणा (प्रार्थीगण) दोनों परिवीक्षाकाल में है। प्रार्थीगण का अभ्यावेदन खारिज करते हुये निस्तारित किया जाता है। सभी संबधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा./संस्था सी–5/अभ्यावेदन/ 2018 दिनांक 7/09/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवा ी हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रक ष्ट कार्यालय हाजा
2. संबंधित उपनिदेशक, कोटा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, झालावा
4. जिला शिक्षा अधिकारी विधि माध्यमिक ेक्षा जयपुर को अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग निदेशालय ीकानेर को बी–2 जयपुर अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
6. संबंधित संस्था प्रधान,
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
निदेशालय–बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री हरिफूल शर्मा व्याख्याता(भूगोल) का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक शिविरा–मा / सी–5 / स्थानातंरण–पदस्थापन / 2018 दिनरांक 18 / 6 / 18 से राउमावि.महात्मा गॉधी जोधपुर से कास्टी बावडी,जोधपुर किया गया तथा उसके स्थान पर श्री रामकिशोर व्यास को राउमावि. कास्टी बावड़ी जोधपुर से राउमावि. महात्मा गांधी जोधपुर स्थानांतरित किया गया। श्री हरिफूल शर्मा ने उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान बलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 163 / 2018 दायर की जिसमें अपीलार्थी ने कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नही रहता तथा सन् 2020 में उसका रिटायरमेंट है इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी भी राजकीय सेवा में है इसलिये उसकी परिस्थितियों को देखते हुये उसे जोधपुर में पदस्थापित किया जाये। माननीय अपील प्रस्तुत अधिकरण ने अपने निर्णय में अपीलार्थी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने का आदेश दिया अतः अपीलार्थी ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपीलार्थी की मांग के विषय में स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण विभागीय आवश्कतानुसार प्रशासनिक आधार पर किया गया है व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय पद है अतः किसी भी व्याख्याता का स्थानान्तरण / पदस्थापन राज्य मे किसी भी स्थान पर किया जा सकता है जहां तक पति–पत्नी का एक साथ पदस्थापन या 2 वर्ष पश्चात् अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने का विषय है यह एक यथा संभव व्यवस्था है विभाग की आवश्कता प्रथम वरीयता है। अपीलार्थी को TA/DA व योग काल दिया गया है। अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज करते हुये निस्तारित किया जाता है सभी संबंधित पक्षकार सूचित है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / मा. / संस्था सी–5 / अभ्यावेदन / 163 / 2018 दिनांक 7/09/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा
2. संबंधित उपनिदेशक, जोधपुर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी विधि माध्यमिक शिक्षा जोधपुर को अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग निदेशालय बीकानेर को बी–2 जोधपुर अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि.महात्मा गॉधी जोधपुर
7. संबंधित कार्मिक श्री हरिफूल शर्मा द्वारा संस्था प्रधान, राउमावि.महात्मा गॉधी जोधपुर को सूचनार्थ
8. निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा
निदेशालय–बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्रीमती भारती बाचेटा का स्थानान्तरए आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/स्थानान्तरण/वाणि0–इति0/2018–19 दिनांक 08.06.2018 द्वारा राबाउमावि मिर्जेवाला से राउमावि 14 एपीडी (कमरानियां) अनूपगढ–गंगानगर में किया गया। भारती बाचेटा ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 17656/2018 दायर की। याची ने माननीय उच्च न्यायालय से गुहार की है कि उसका स्थानान्तरित स्थान से 150 किमी की दूरी पर है। उसके दो छोटे बच्चें है तथा सास–ससुर वृद्ध है। अतः मेरा स्थानान्तरण आदेश संशोधित राउमावि पन्नीवाली जाटां–श्रीगंगानगर (08010315904) अथवा राउमावि केसरीसिंहपुर (08010224201) में किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अपार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिया। अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन, मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है, अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन/स्थानान्तरण विभागीय अवाश्यकतानुसार राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरीयता है। इस प्रकार याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 17656/2018/भारती बाचेटा/ दिनांक–7/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर/जोधपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को नेट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक::शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/इति0–वाणि0/स्थानान्तरण/2018 दिनांक 29.05.2018 द्वारा श्री यादराम मीणा, व्या0 इतिहास का स्थानान्तरण राउमावि पिनान रैणी–अलवर से राउमावि सतवाड़ी–भरतपुर किया गया था जिसके विरूद्व श्री मीणा ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस0बी0सी0 याचिका संख्या 12134/18 दायर की एवं स्थगन आदेश प्राप्त किया। माननीय न्यायालय की पालना में राउमावि सतवाड़ी–भरतपुर में दोहरा पदस्थापन होने के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 04 एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से संशोधन किया जाता है।

क्रसं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	नवीन पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि
01	02	03	05
01	यादराम मीणा, व्या0 इतिहास	पिनान–रैणी–अलवर	GSSS MALAH, SEWAR(08070505402) BHARATPUR

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि वे प्राध्यापक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करावें। नवपदस्थापन स्थान पर दिनांक 17/9/18 तक कार्यग्रहण करना होगा। कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप उक्त यदि चुनाव संबंधित कार्य में दायित्वबद्ध है तो कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करवाया जावें। संबंधित तत्काल पालना करावें।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–2/को0के0/12134/2018/यादराम मीणा दिनांक:– 7/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री,स्वतंत्र प्रभार प्रा.मा.शि.एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार,जयपुर
2 संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3 संबधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
4 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5 संबधित प्रधानाचार्य, राउमावि
6 संबधित कार्मिक
7 कम्प्यूटर एनालिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8 निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर